

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
मैनुअल संख्या-4		
1.	विभाग द्वारा विभिन्न क्रिया कलापों/कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु किये जाने वाले मापमान का कार्यक्रमवार विवरण।	1-2
2.	दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उत्पाद नियंत्रण आदेश-1992 में निहित प्राविधान अन्तर्गत दुग्धशालाओं का पंजीकरण	2
3.	विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत निर्धारित मानक	2-3

1. विभाग द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मापमान का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध करायें।

- विभाग द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों एवं योजनाओं का संचालन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। दुग्ध सहकारी समितियों के गठन, निरीक्षण, निबन्धन एवं निर्वाचन हेतु निर्धारित मानकों का विवरण निम्नवत है—

1.1 दुग्ध समितियों का गठन:—

ऐसे ग्राम जो दुग्ध मार्गों के दोनों ओर 5 किमी० की दूरी तक स्थित है, का सर्वेक्षण किया जाता है। ग्राम सभा में दुग्ध उत्पादन व दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी आदि को दृष्टिगत रखते हुए दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। समिति गठन हेतु न्यूनतम 30 दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी आवश्यक है। जिला सेक्टर योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों को निर्धारित मानकों के अनुसार सम्बन्धित दुग्ध संघ के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

1.2 दुग्ध सहकारी समितियों का निरीक्षण:—

दुग्ध सहकारी समितियों का संचालन सुचारू रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रत्येक माह निरीक्षण/रात्रि विश्राम किये जाने की व्यवस्था है। इस हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित मानक का विवरण निम्नवत है—

क्र.सं.	पदनाम	निरीक्षण	रात्रि विश्राम
1.	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	20	5
2.	दुग्ध निरीक्षक	15	4
3.	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक	10	2
4.	सहायक निदेशक	05	2

उपरोक्त के अतिरिक्त माह दौरान हुए कार्यों की प्रगति एवं कठिनाईयों की समीक्षा नियमित रूप से आगामी माह के प्रथम सप्ताह में की जाती है।

1.3 दुग्ध सहकारी समितियों का निबन्धन:—

दुग्ध सहकारी समितियां जो आनन्द प्रणाली के अनुरूप कार्य कर रही है तथा स्वावलम्बी होने योग्य है, उनके निबन्धन प्रस्ताव तैयार कर निबन्धन हेतु जनपदीय सहायक निदेशक के माध्यम से निदेशक, डेरी विकास/निबन्धक दुग्ध सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध कराये जाते हैं।

1.4 दुग्ध सहकारी समितियों का निर्वाचन:—

दुग्ध सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति/उपसभापति/सभापति/ प्रतिनिधि का निर्वाचन कराया जाता है। विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन में अर्हता रखने हेतु निम्नवत मानक निर्धारित किये गये हैं—

- ❖ **दुग्ध समितियों में निर्वाचन हेतु सदस्यों के निर्धारित मानक**
— मतदाता को गत सहकारी वर्ष में 180 दिन तथा न्यूनतम 300 लीटर दूध आपूर्ति करना आवश्यक है।
- ❖ **दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में निर्वाचन हेतु दुग्ध समिति के निर्धारित मानक**
— दुग्ध सहकारी समिति द्वारा दुग्ध संघ को गत सहकारी वर्ष में 270 दिन दूध तथा न्यूनतम 5000 लीटर दूध आपूर्ति करना आवश्यक है।

2. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उत्पाद नियंत्रण आदेश-1992 में निहित प्राविधान अन्तर्गत दुग्धशालाओं का पंजीकरण।

- ❖ प्रदेश के ऐसे अधिष्ठान जिनकी दूध भण्डारण/प्रसंस्करण क्षमता 10 हजार ली0 दैनिक से अधिक हो अथवा
- ❖ ऐसे अधिष्ठान जो प्रतिवर्ष 500 मै0टन ठोस दूध पदार्थों का भण्डारण/प्रसंस्करण करते हो— को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश-1992 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।
- ❖ 10 हजार ली0 दैनिक क्षमता से 2 लाख ली0 दैनिक क्षमता के अधिष्ठानों का पंजीकरण निदेशक, डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।
- ❖ 2 लाख ली0 दैनिक क्षमता से अधिक क्षमता के अधिष्ठानों का पंजीकरण निदेशक, डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड की संस्तुति उपरान्त संयुक्त सचिव, पशुपालन डेरी एवं मत्स्य विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।
- ❖ दुग्धशालाओं के पंजीकरण हेतु नियंत्रण आदेश के पैरा-5 में उल्लेखित शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

3. विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत निर्धारित मानक—

3.1 जिला सेक्टर योजना— योजनान्तर्गत प्रदत्त समस्त लाभ-रियायती दर पर संतुलित पशुआहार, प्राथमिक पशु चिकित्सा, डिवरमिंग, टीकाकरण, आपातकालीन पशुचिकित्सा आदि दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को ही देय हैं।

3.2 सघन मिनी डेरी योजना— लाभार्थी दुग्ध सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक है।

- ❖ ऐसे सदस्य/पशुपालक जो किसी बैंक/वित्तीय संस्था का बकायादार न हो।
- ❖ जिनके पास 5-10 नाली भूमि हो तथा जो समिति पर दूध देना चाहते हों।
- ❖ योजना में महिला दुग्ध उत्पादकों को वरीयता दी जायेगी।

- ❖ चयनित सदस्य के नाम का प्रस्ताव दुग्ध समिति की आम बैठक में पारित किया जाएगा।
- ❖ जिनके पास क्रय कराए गए पशुओं के रखने, बांधने का पर्याप्त साधन हो।
- ❖ जो दिवालिया/पागल न हो।
- ❖ जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।